न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 56/2016/टीए

1. हीरालाल पिता लादू गुर्जर – मृतक के बजाय
   1. श्रीलाल पिता हीरा गुर्जर
   2. नारायण पिता हीरा गुर्जर
   3. मांगीबाई पुत्री हीरा गुर्जर
   4. भगवानीबाई बेवा हीरा गुर्जर
2. भैरूलाल पिता उदा गुर्जर
3. शंकरलाल पिता उदा गुर्जर
4. ऊंकारलाल पिता उदा गुर्जर
5. रामलाल पिता उदा गुर्जर
6. गीताबाई पुत्री उदा गुर्जर
7. देऊबाई पत्नि उदा गुर्जर
8. लालू पिता बालू गुर्जर
9. दोला पिता बालू गुर्जर

सभी निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्टस

बनाम

राज्य जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय,उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
दिनांक 17.06.2016 प्रकरण सं. 71/2014

उपस्थित – 1. श्री चन्दनमल जणवा – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक– 04.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी अपीलान्ट द्वारा उनके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व ग्राम मण्डफिया तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 403 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है, जिसमे से प्रतिवादीगण/अपीलान्टस द्वारा एयरटेल कम्पनी का मोबाईल टावर स्थापित कर दिया है एवं कृषि भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ मे उपयोग हो रहा है जिससे उक्त भूमि को राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज की जावे। उक्त प्रार्थना पत्र

दिनांक 01/01/2014 को वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण हेतु नियत था एवं किसी भी प्रतिवादीगण की तामील नही हुई थी इसी दौरान पत्रावली को लोक अदालत मे रखते हुए बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रोपर तामील के एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया। इससे असंतुष्ट होकर अपीलान्टस ने यह अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय मे वादी/रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 01/01/2014 को प्रस्तुत किया उससे पूर्व ही खातेदार हीरा पिता लादू गुर्जर की दिनांक 13/12/2013 को मृत्यु हो चुकी थी जिससे मृतक के विरूद्ध ही वाद पत्र प्रस्तुत कर उसके वारिसान को विधिवत रेकार्ड पर लिये बिना ही एक पक्षीय रूप से जो डिक्री पारित की है वह डिक्री नलिटी होकर शून्य है। वादी द्वारा किसी प्रकार से वर्ष 2014 से माह अप्रेल 2016 तक कोई नोटिस पेश नही किया जो अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका से स्पष्ट प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार से लोक अदालत का कोई नोटिस ही प्राप्त नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय को मृतक हीरा पिता लादू गुर्जर के वैधानिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के पश्चात् उनको विधिवत सुनवाई का अवसर देकर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17/06/2016 को निरस्त फरमायी जाकर अपीलान्टस को विधिवत सुनवाई एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये गुणावगुण के आधार को ध्यान मे रखे बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्टस स्वीकार की जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा दौराने बहस उन्ही तथ्यो की पुनरावृत्ति की गई जो अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे वर्णित है। साथ ही यह भी मांग की गई कि अपील अपीलान्टस सारहीन होने के कारण खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई एवं मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। राज्य सरकार द्वारा हाल ही मे टावर स्थापित होने के सम्बन्ध मे दिशा–निर्देश जारी किये गये है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी भदेसर द्वारा प्रकरण संख्या 71/2014 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17/06/2016 अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान कर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अध्ययन के पश्चात् गुणावगुण के आधार पर निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ